न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 51/2018

अनवान :

1. महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. मोहरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री ओमप्रकाश पत्नि रोहताश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. मंजू पुत्री ओमप्रकाश पत्नी नेमचन्द जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. बैंक आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **वादी**

वकील श्री सन्दीप बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 13.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 31/69 के खसरा सं0 46/1 की 0.422 है0 बारानी खसरा सं0 60 की 0.624 है0 बारानी, खसरा सं0 225/2 की 3.951 है0 बारानी व खसरा सं0 287/3 की 1.416 है0 बारानी कुल 6.413 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और रोही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 238/69 के खसरा सं0 212/3 की 1.037 है0 बारानी कृषि भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता ओमप्रकाश को वादी के दादा पूर्णराम से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। उक्त वाद भूमि खाता सं0 31/69 की कुल 6.413 है0 बारानी में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है और खाता सं0 238/69 की कुल 1.037 है0 बारानी में से प्रतिवादी सं0 1 की 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है। उक्त वाद भूमि पारिवारिक सैटलमेंट के मुताबिक वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि अपने भाईयो वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर दी थी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 4 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में महेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 31/69, 238/69 के सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 2 व 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2039 की प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2039 की प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा पूर्ण वल्द नन्दराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में ओमप्रकाश के वारिसान में पत्नी परमेश्वरी देवी, दो पुत्र महेन्द्रसिंह व मोहरसिंह, दो पुत्रीयां कृष्णा व मन्जू होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 31/69 के खसरा सं0 46/1 की 0.422 है0 बारानी खसरा सं0 60 की 0.624 है0 बारानी, खसरा सं0 225/2 की 3.951 है0 बारानी व खसरा सं0 287/3 की 1.416 है0 बारानी कुल 6.413 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और रोही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 238/69 के खसरा सं0 212/3 की 1.037 है0 बारानी कृषि भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 51/2018

अनवान :

1. महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. मोहरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री ओमप्रकाश पत्नि रोहताश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. मंजू पुत्री ओमप्रकाश पत्नी नेमचन्द जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. बैंक आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री संदीप बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 31/69 के खसरा सं0 46/1 की 0.422 है0 बारानी खसरा सं0 60 की 0.624 है0 बारानी, खसरा सं0 225/2 की 3.951 है0 बारानी व खसरा सं0 287/3 की 1.416 है0 बारानी कुल 6.413 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और रोही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 238/69 के खसरा सं0 212/3 की 1.037 है0 बारानी कृषि भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा (हनु.)

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़